




## प्रेस नोट थाना मंडी धनौरा

दिनांक 21.04.2021

### थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी अभियुक्त मय 312 बोतल व 192 पच्चे गैर प्रांतीय शराब (अनुमानित कीमत 3 लाख रुपये) व तस्करी मे प्रयुक्त लग्जरी कार महेन्द्रा TUV-300 गाडी सहित गिरफ्तार

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमति सुनीति पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्री सतेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में शराब माफियाओं/अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत कल दिनांक 20/21.04.2021 की रात्रि समय करीब 11 बजे थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा गोलघर तिराहे पर चैकिंग के दौरान गजरौला की तरफ से आ रही लग्जरी गाडी महेन्द्रा TUV-300 रजि0न0 HR51 BS 5689 में अवैध शराब की तस्करी कर रहे अभियुक्त अशोक सैनी पुत्र तुलाराम सैनी निवासी टीकली रोड ऊंची कोठी थाना बादशाहपुर जनपद गुडगांव हरियाणा को गिरफ्तार किया गया जिसका एक अन्य साथी अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से महेन्द्रा TUV-300 में पीछे छिपाकर रखी गई 19 पेटी व 03 बोरी में कुल 312 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व 04 पेटी में कुल 192 पच्चे SUPER SPEED WHISKY चंडीगढ मार्का शराब **(अनुमानित कीमत 3 लाख रुपये)** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मंडी धनौरा पर मु0अ0सं0 152/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गाडी के कागजात दिखाने मे कासिर रहा जिसको जुर्म धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया। फरार अभियुक्त सुनील की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।

अभियुक्त अशोक सैनी ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने साथी सुनील के साथ मिलकर आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य से अवैध शराब की तस्करी कर यहां आसपास के क्षेत्रों में शराब बेचकर पैसा कमाना चाह रहे थे कि मंडी धनौरा





**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. अशोक सैनी पुत्र तुलाराम सैनी निवासी टीकली रोड ऊंची कोठी थाना बादशाहपुर जनपद गुरुग्राम (गुडगांव) हरियाणा ।

**फरार अभियुक्त:-**

1. सुनील पुत्र महेन्द्र जाट निवासी ग्राम नूरपुर कलां थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।

**बरामदगी:-**

1. 19 पेटी व 03 बोरी में कुल 312 बोटल EPISODE GOLD WHISKY अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का ।

2. 04 पेटी में कुल 192 पच्चे SUPER SPEED WHISKY चंडीगढ मार्का ।
3. तस्करी में प्रयुक्त लग्जरी गाडी महेन्द्रा TUV-300 रजि0न0 HR51 BS 5689 ।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त अशोक सैनी:-**

1. मु0अ0स0 152/2021 धारा 60/63 आब0 अधि0 थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
  2. मु0अ0स0 70 /2017 धारा 60/ 63 आबकारी अधिनियम थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
- अभियुक्त के शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमर सिंह थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री ब्रजेश कुमार थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 श्री रामनिवास शर्मा थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
4. का0 295 हरेन्द्र सिंह थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
5. का0 655 कपिल देव थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।

